UPJB010042932025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस.सी/एस.टी) एक्ट, अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती शैलजा राठी(उच्चतर न्यायिक सेवा)

राहुल सिंह बनाम जितेन्द्र प्रसाद आदि।

परिवाद सं०– 68/2025

थाना–गजरौला , जिला अमरोहा।

आदेश

दिनांकः-01.06.2026

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गई। बार-बार पुकार पर परिवादी अनुपस्थित, न ही उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है तथा न ही उसकी ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली में बयान अंतर्गत धारा-223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 24.09.2025 को अंकित किया जा चुका है। पत्रावली विगत कई तिथियों से सुनवाई हेतु नियत है, किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। परिवादी को अनेक बार अवसर दिया जा चुका है।

2. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली विगत कई तिथियों से सुनवाई के स्तर पर नियत है। पत्रावली में परिवादी न ही स्वयं उपस्थित आ रहा है और न ही जरिये अधिवक्ता कोई हाजिरी माफी/स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, और न ही धारा 225 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत साक्षीगण के बयान कराये गये हैं। उक्त परिस्थितियों में असम्पुष्ट, असमर्थित परिवाद कथानक के आधार पर साक्षियों के बयान के अभाव में मात्र परिवादी के बयान के आधार पर विपक्षीगण को तलब किये जाने हेतु पत्रावली पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अतः परिवादी राहुल सिंह का परिवाद अंतर्गत धारा 226 बी.एन.एस.एस. निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी राहुल सिंह का परिवाद अंतर्गत धारा 226 बी.एन.एस.एस. निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

शैलजा राठी
Id. No:–UP2643
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी. एक्ट)
अमरोहा।

Digitally signed by SHAILJA RATHI
Date: 2026.06.01 16:57:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court